संख्या 50/2021/333/चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊःदिनांक 09 मार्च, 2022

विषय- जनपद आगरा में ग्राम बटेश्वर, तहसील-बाह में शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5040/सं0नि0-15(69)/2021-22, दिनांक 08 मार्च, 2022 व जिलाधिकारी, आगरा के पत्र सं0- 23/आयुध सहायक, दिनांक-06 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा में ग्राम वटेश्वर, तहसील-बाह में आयोजित भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जयन्ती समारोह पर टेंटेज आदि के व्यय की जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित व्यय विवरण का सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन की दरों के आधार पर परीक्षणोपरान्त धनाराशि रू0 21,36,845/- (रूपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ पेतालीस मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) समस्त कार्यों का सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि रू0 21,36,845/- (रूपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ पेतालीस मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या- 50/2022/333/चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आगरा ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।